भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं. ऑप्स. 703/पार्किंग/(एनपी)/2016/पार्ट/1269-1285 दिनांक: 11 जुलाई, 2019

सेवा में,

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
उत्तरी/पश्चिमी/पूर्वी/दक्षिणी/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र,
दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी

विमानपत्तन निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
एनएससीबीआई विमानपत्तन/ चेन्नई विमानपत्तन
कोलकाता/चेन्नई

विषय: संशोधित नाइट पार्किंग पॉलिसी को दिनांक 15 जुलाई 2019 से लागू किया जाना।

महोदय,

आविप्रा बोर्ड द्वारा दिनांक 27 जून,2019 को आयोजित 189वीं बोर्ड मीटिंग में संशोधित नाइट पार्किंग पॉलिसी का अनुमोदन किया गया है।

2. संशोधित नाइट पार्किंग पॉलिसी जो दिनांक 15 जुलाई, 2019 से लागू की जानी है,की एक प्रति साथ में संलग्न है।

3. यह इस कार्यालय के पत्र संख्या - ऑप्स 703/पार्किंग(एनपी)/2016/पार्ट./1527-1533 दिनांक 2 सितम्बर, 2016 द्वारा जारी नाइट पार्किंग पॉलिसी को निरस्त करता है ।

4. कृपया संशोधित नाइट पार्किंग पॉलिसी की प्रति अपने क्षेत्र के सभी हवाईअड्डों में परिपत्रित करें।

भवदीय,

(जे.पी. एलेक्स)
कार्यपालक निदेशक (प्रचालन)

सलग्न: यथोक्त

प्रतिलिपि:

सभी एयरलाइन ऑपरेटर (संलग्न सूची के अनुसार)

राजीव गांधी भवन सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-११०००३ दूरभाष : २४६३२६५० फैक्स : ९१.११.२४६३२६६०
Rajiv Gandhi Bhawan Safdarjung Airport, New Delhi - 110003 Phone : 24632950 Fax : 91-11-24632990

प्रचालन निदेशालय

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
प्रचालन निदेशालय

नाइट पार्किंग पॉलिसी

पृष्ठभूमि:

1.1 भाविप्रा बोर्ड द्वारा दिनांक 11/8/16 को आयोजित अपनी 170वीं बैठक में अनुमोदित की गई नाइट पार्किंग पॉलिसी को दिनांक 15/9/16 से सभी हवाईअड्डों पर लागू किया गया था।

1.2 पिछले दो-तीन वर्षों में घरेलू यातायात में दोहरे अंकों में हुई वृद्धि के कारण डोमेस्टिक शेड्यूल ऑपरेटर तेज गति से विमानों को शामिल कर रहे हैं। मांग को पूरा करने के लिए और अगले 5 से 10 वर्षों में एयरलाइन ऑपरेटरों के द्वारा दिये गए एयरक्राफ्ट इंडक्शन प्लान के आधार पर टॉप 20 हवाई अड्डों पर अतिरिक्त पार्किंग स्टैंड के निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है । नए पार्किंग स्टैंड का निर्माण कार्य पूरा करने में एक से पाँच वर्ष लगेंगे।

1.3 इसके अतिरिक्त, एयरलाइन ऑपरेटर संभवत: अगले एक वर्ष में आने वाले अपने नए विमानों के लिए ओवरनाइट पार्किंग की अनुमति हेतु लगातार अनुरोध कर रहे हैं। चूंकि टॉप 20 हवाईअड्डों में से अधिकांश में पार्किंग स्टैंड की कमी है, अत: मौजूदा नाइट पार्किंग पॉलिसी के अनुसार उनके अनुरोध को पूरा करना कठिन हो रहा है।

1.4 उक्त को ध्यान में रखते हुये संशोधित नाइट पार्किंग पॉलिसी निम्नानुसार है :

2 नाइट पार्किंग के आबंटन हेतु मानदंड-

नाइट पार्किंग आबंटन एक ऐसे विमान के लिए किया जाएगा जोकि हवाईअड्डे पर 2200 बजे से 0600 बजे के बीच पार्क किया जाना है ।

2.1 भाविप्रा निम्नलिखित कारकों को ध्यान रखते हुए पार्किंग स्टैंड के आबंटन के लिए प्राप्त एयरक्राफ्ट ऑपरेटरों के अनुरोध पर कार्रवाई करेगाः-

2.2 अनुलग्नक 'क' के अनुसार पार्किंग स्टैंड्स को प्रमुख हवाईअड्डों यथा अहमदाबाद, अमृतसर, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयंबतूर, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, त्रिवेनद्रम, उदयपुर और वडोदरा पर डाइवर्जनेरी उड़ानों, तकनीकी उड़ानों को संभालने के लिए आरक्षित किया जाएगा।

2.3 पार्किंग स्टैंड के आबंटन के लिए निम्न प्रतियोगी कारकों को ध्यान में रखा जाएगा ताकि विमानन क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समान विकास सुनिश्चित किया जा सके ।

2.3.1 नए प्रवेशकों* को नाइट पार्किंग के आबंटन के लिए उपलब्धता के आधार पर हवाईअड्डे पर अधिकतम दो(2) पार्किंग स्टैंड हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। एक से अधिक नए प्रवेशक के मामलें में, पैरा 2.3.2. (i),(ii) और (iii) में परिभाषित मानदंड लागू होंगे।

2.3.2 यदि नया प्रवेशक नाइट पार्किंग अनुमति के लिए अनुरोध नहीं करता है तो उपलब्ध पार्किंग स्टैंड निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार मौजूदा ऑपरेटर को आबंटित कर दिये जाएँगे:-

i) किसी भी अंतरराष्ट्रीय गंतव्य से पहली बार कनेक्टिविटी।

ii) पहली बार छह मेट्रो शहरों से कनेक्टिविटी।

iii) टियर- II/I/III शहरों से कनेक्टिविटी।

iv) यदि राज्य सरकारें राज्य मे स्थित एक विशेष हवाईअड्डे पर न्यूनतम विमानों की पार्किंग के लिए ईंधन पर कर में छूट देती है।

v) आबंटित नाइट पार्किंग स्टैंड के उपयोग की पुष्टि होने पर ही अतिरिक्त नाइट पार्किंग के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

vi) समान वितरण के लिए पहले से आबंटित पार्किंग स्टैंड के साथ ही एयरलाइन को नए पार्किंग स्टैंड का आबंटन शुरू कर दिया जाएगा ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढावा दिया जा सके।

vii) एयरलाइन/विमान ऑपरेटर की ओर वर्तमान माह की देय राशि को छोड़कर कोई भी ट्रैफिक बकाया देय राशि लम्बित नहीं होनी चाहिए।

2.3.3 एनएसओपी.पर शेड्यूल्ड ऑपरेटर को प्राथमिकता दी जाएगी।

2.3.4 नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटरों को अस्थायी नाइट पार्किंग आबंटित की जाएगी जो कि छह माह के लिए वैध होगी। हवाईअड्डे पर पार्किंग स्टैंड की उपलब्धता के आधार पर ही इस समयावधि को और आगे बढ़ाया जाएगा।

* नए प्रवेशक- एक एयरलाइन ऑपरेटर जिसके पास किसी विशेष हवाईअड्डे पर नाइट पार्किंग की अनुमति नहीं है।

प्रचालन निदेशालय

2.4 टीयर-II/टीयर-III शहरों में स्टेशनों को जोड़ने के लिए यदि एयरक्राफ्ट ऑपरेटर को पार्किंग स्टैंड आबंटित किया जाता है, यद्यपि शेड्यूल के शुरू होने के उपरांत, यदि एयरलाइन के लिए यह संभव नहीं है, तो उन्हें एयरपोर्ट से अन्य किसी भी टीयर-II/टीयर-III शहर से कनेक्ट करने की अनुमति दी जाएगी ।

2.5 ओवरनाइट पार्किंग की अनुमति प्राप्त एयरलाइंस हवाईअड्डे पर फिक्स्ड इलैक्ट्रिक ग्राउंड पावर(एफ.ई.जी.पी.) की सुविधा जहाँ उपलब्ध है, का उपयोग करने के लिए वाध्य है।

2.6 एयरलाइन को आबंटित पार्किंग स्टैंड विशिष्ट प्रकार के विमानों के लिए होता है। एयरलाइनों को लिखित में अनुमति के बिना विमान के प्रकार को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है।

2.7 किसी भी हवाई अड्डे के पार्किंग स्टैंड की उपलब्धता में वृद्धि होने पर किसी एयरलाइन को ओवरनाइट पार्किंग के अधिकार की अनुमति नहीं होगी।

2.8 किसी भी समय तीन से अधिक विमानों के लिए नाइट पार्किंग के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त पैरा 2.3.2 में दिए गए मानदंडों को पूरा करने पर ही पार्किंग स्टैंड आबंटित किया जाएगा।

2.9 एयरलाइन और संबंधित विमानपत्तन निदेशक द्वारा किसी विशेष हवाई अड्डे पर पहले से आबंटित पार्किंग स्टैंड के उपयोग की पुष्टि के बाद ही अतिरिक्त नई पार्किंग की अनुमति हेतु प्राप्त अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

2.10 ओवरनाइट पार्किंग स्टैंड का आबंटन लैंडिंग और टेक-ऑफ के लिए पसंदीदा स्लॉट की गारंटी नहीं देता है।

2.11 कोई निर्दिष्ट पार्किंग स्टैंड किसी विशेष एयरलाइन को स्थायी रूप से आबंटित नहीं किया गया है। एयरपोर्ट ऑपरेटर द्वारा परिचालन आवश्यकता के आधार पर, कोई भी पार्किंग स्टैंड एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए दिया जा सकता है ।

2.12 उन एयरलाइंस को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी विशेष हवाई अड्डे को हब* बनाना चाहते हैं। उन्हें भाविप्रा को दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कम से कम एक वर्ष पहले नेटवर्क योजना के साथ ये जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

* हबः भारतीय वाहकों द्वारा गंतव्य स्थल पर यात्रियों को पहुँचाने के लिए स्थानांतरण स्थल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक हवाईअड्डा।

2.13 विमान के सामान्य संचालन के लिए नाइट पार्किंग की अनुमति दी जाती है और तदनुसार भाविप्रा द्वारा टैरिफ कार्ड के अनुसार पार्किंग और हाउसिंग शुल्क लगाये जाते हैं।

3. आबंटन की प्रक्रिया

3.1 भाविप्रा क्रमशः गर्मियों और सर्दियों के मामले में समानुपात रूप से शैड्यूल फाइल करने के लिए मई और अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह तक वेबसाइट पर ओवरनाइट पार्किंग स्टैंड की उपलब्धता की जानकारी प्रदान करेगा। इसके अलावा, जब कभी भी कोई नई पार्किंग शुरू की जाएगी, उसके आबंटन के लिए पहले ही सूचित किया जाएगा।

3.2 नाइट पार्किंग के लिए आवेदन एयरलाइन ऑपरेटर द्वारा विमान को शामिल करने के माह की पुष्टि के साथ 5 (पांच) महीने पहले स्वीकार किए जाएंगे।

3.2.1 भाविप्रा द्वारा हवाई अड्डों पर पार्किंग स्टैंड की उपलब्धता के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और उसके बाद (बकाया राशि के समाशोधन के आधार पर) भाविप्रा द्वारा (अगले 15 दिनों में) प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

3.3 ओवरनाइट पार्किंग स्टैंड्स के लिए आवेदन पर विचार निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:

ए) आवेदन शुल्क के साथ विधिवत् रूप से भरा हुआ आवेदन फॉर्म (अनुलग्नक 'ख') कार्यपालक निदेशक (प्रचालन) निगमित मुख्यालय के सूचनाधीन संबंधित विमानपत्तन निदेशक को संबोधित होना चाहिए। नाइट पार्किंग के लिए प्रति विमान रू. 1,00,000/- (एक लाख केवल)+लागू करों का गैर-वापसी योग्य एवं गैर-समायोज्य आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के रूप में वसूल किया जाएगा। पार्किंग स्टैंड आबंटित न होने की स्थिति में आवेदन शुल्क और सुरक्षा जमा राशि वापस कर दी जाएगी।

बी) यदि ऑपरेटर विमान को 5 महीने के निर्धारित समय में लाने में विफल रहता है और विमान को लाने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करता है, तो आबंटित अवधि के पूरा होने के उपरांत पहले दिन से अधिकतम 30 दिनों के लिए लागू करों के साथ प्रतिदिन रुपये 5000/- का जुर्माना अदा करने

पर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा और उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात आबंटन रद्द कर दिया जाएगा ।

सी) यदि कोई एयरलाइन आबंटन अवधि के दौरान नाइट पार्किंग स्टैंड छोड़ने की पूर्व सूचना भाविप्रा को देती है, तो उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

डी) यदि किसी एयरक्राफ्ट ऑपरेटर ने आबंटित नाइट पार्किंग स्टैंड का उपयोग करना शुरू कर दिया है और उसके पश्चात वह निरंतर दो महीने (60 दिनों तक) उसका उपयोग नहीं करता है तो बिना कोई सूचना दिए उस आबंटन को रद्द कर दिया जाएगा, यद्यपि पूर्व सूचना के साथ, परिचालन की अनिवार्यता जिसमें ऑपरेटर हवाई क्षेत्र के बंद होने के नोटम (NOTAM) के कारण संचालित करने में असमर्थ है या विमान की तकनीकी खराबी के कारण विमान दो माह से अधिक समय से ग्राउंड पर है, को देखते हुए छूट पर विचार किया जाएगा।

ई) उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने पर, विमानपत्तन निदेशक अपनी सिफारिशों को अगली कार्रवाई के लिए कार्यपालक निदेशक (प्रचालन), भाविप्रा, निगमित मुख्यालय को अग्रेषित करेंगे। यदि निगमित मुख्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाता है तो उसे संबंधित विमानपत्तन निदेशक को उनकी सिफारिशों के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

3.4 यदि कोई एयरलाइन ऑपरेटर, जिसके पास भाविप्रा के किसी हवाई अडडे पर नाइट पार्किंग स्टैंड का कब्जा है, भाविप्रा के एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे पर नाइट पार्किंग स्टैड को बदलने के लिए इच्छुक है तो इसे लागू प्रभारों के अनुसार नया आवेदन माना जाएगा। तथापि पुराने स्टेशन पर नाइट पार्किंग स्टैंड को छोड़ने और नए आबंटित स्टेशन पर इसे लेने का कार्य एक साथ होना चाहिए ।

3.5 एयरलाइन के विलय/अधिग्रहण और/या विमान के विक्रय/स्थानांतरण के मामले में जो एयरलाइन अन्य एयरलाइन/विमान का अधिग्रहण करती है उसे उस ओवरनाइट पार्किंग स्टैंड के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है, जिसकी अनुमति अधिग्रहण किये जा रहे एयरलाइन/विमान को प्रदान की गई थी। ऐसी स्थिति में एयरलाइन/विमान का अधिग्रहण करने वाली/कब्जा लेने वाली एयरलाइन को अपेक्षित बैंक गारंटी एवं अन्य लागू प्रभार जमा कराने/बदलने होंगे।

3.6 वर्तमान ओवरनाइट पार्किंग की अनुमति के प्रयोग की समीक्षा वर्ष में दो बार की जाएगी, जब घरेलू एयरलाइंस द्वारा सर्दी एवं गर्मी का शेड्यूल फ़ाइल किया जाएगा। पार्किंग प्रभार पार्किंग अनुमति के वास्तविक प्रयोग की तिथि से वसूला जाएगा।

3.7 नाइट पार्किंग स्टैंड का आबंटन सभी बकाया राशि, यदि कोई है, चुकाने के पश्चात किया जाएगा। भाविप्रा क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार, नाइट पार्किंग स्टैंड के आबंटन से पहले ट्रैफिक बकाया को संपूर्ण माना जाएगा, न कि एयरपोर्टवाइज़।

3.8 भाविप्रा के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी समय नाइट पार्किंग स्टैंड अनुमति को आपातकालीन या परिचालन आवश्यकताओं के लिए रद्द कर सकती है ।

4. ग्राउंड पर विमान(एओजी) के रूप में घोषित विमान के लिए प्रभारों की वसूली

4.1 लैसर्स इत्यादि को लीज़ रेन्टल का भुगतान न करने पर एयरलाइंस द्वारा ग्राऊंड किये गए विमानों अर्थात एओजी के लिए पार्किंग/हाउसिंग शुल्क, अनुलग्नक-'ग' के अनुसार लगाया जाएगा।

5. शिकायत, विवाद निवारण व्यवस्था

5.1 यदि एयरलाइन/एयरक्राफ्ट ऑपरेटर विमान पार्किंग अनुमति से संतुष्ट नहीं है तो एयरलाइन/एयरक्राफ्ट ऑपरेटर पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपनी लिखित शिकायत कार्यपालक निदेशक (प्रचालन),भाविप्रा, निगमित मुख्यालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत कर सकता है।

5.2 शिकायत की जांच की जाएगी और उसे निर्णय हेतु सदस्य (प्रचालन), भाविप्रा, निगमित मुख्यालय, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को 30 दिनों के भीतर एयरलाइंस / ऑपरेटर को संप्रेषित कर दिया जाएगा।

यह इस कार्यालय के पत्र सं .प्रचालन.703/पार्किंग (एनपी)/2016/पार्ट/1527 दिनांक 3 सितम्बर, 2016 द्वारा जारी नाइट पार्किंग पॉलिसी को निरस्त करता है।

नोट: सभी शेड्यूल/ गैर-शेड्यूल ऑपरेटर जिनके पास क्रेडिट सुविधा है, अनुमोदित क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार सुरक्षा राशि मेंटेन करें।

****

प्रचालन निदेशालय

अनुलग्नक - 'क'

मार्ग परिवर्तित उड़ानों को हैंडल करने के लिए भाविप्रा के प्रमुख वैकल्पिक हवाई अड्डे

क्र.सं.	वैकल्पिक हवाईअड्डा	वॉच घंटे	फायर कैटेगरी	आईएलएस कैट	कुल पार्किंग स्टैंड	मार्ग परिवर्तन संबंधी मामलों को हैंडल करने के लिए उपलब्ध पार्किंग स्टैंड
1	अहमदाबाद (वीएएएच)	एच24	9	कैट I	33	6
2	अमृतसर (वीआईएआर)	एच24	8	कैट - IIIबी	15	4
3	भुवनेश्वर (वीईबीएस)	एच24	7	कैट I	19	4
4	चेन्नई (वीओएमएम)	एच24	9	कैट I	86	8
5	कोयंबतूर(वीओसीबी)	एच24	9	कैट I	9	3
6	इंदौर (वीएआईडी)	एच24	7	कैट I	11	3
7	जयपुर(वीआईजेपी)	एच24	9	कैट - III बी	16	3
8	कोलकाता (वीईसीसी)	एच24	9	कैट - III बी	63	2
9	लखनऊ(वीआईएलके)	एच24	8	कैट - III बी	19	4
10	त्रिवेन्द्रम (वीओटीवी)	एच24	9	कैट- I	20	5
11	उदयपुर (वीएयूडी)	एटीएस के अनुसार	7	कैट -I	12	3
12	वडोदरा (वीएबीओ)	एटीएस के अनुसार	7	कैट -I	14	3

अनुलग्नक 'ख'

ओवरनाइट पार्किंग स्टैंड के आबंटन के लिए आवेदन प्रोफॉर्मा

1.	ऑपरेटर का नाम, पता, दूरभाष नं और फैक्स नं	
2.	हवाई अड्डे का नाम जहां ओवरनाइट पार्किंग स्टैंड की आवश्यकता है।	
3.	(ए) अपेक्षित ओवरनाइट पार्किंग स्टैंड की संख्या (बी) विमान का प्रकार जिसके लिए ओवरनाइट पार्किंग स्टैंड की आवश्यकता है । (सी)विमान का विंग स्पैन (डी) विमान की लंबाई (ई) विमान की सीटिंग कपैसिटी (ई) विमान का मैक्सिमम टेक-ऑफ भार	
4.	एयरक्राफ्ट के इंडक्शन का प्रस्तावित माह	
5.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में.................. बैंक द्वारा जारी किया गया रुपये 1,00,000/- (प्रति एयरक्राफ्ट)+ लागू जीएसटी, का डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी नं	
6.	क्या एयरक्राफ्ट के प्रकार एवं एयरपोर्ट, जिसके लिए पार्किंग अपेक्षित है, के अनुसार बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा राशि रु .... भाविप्रा के पक्ष में जमा है? यदि हाँ, तो बैंक का नाम.......................... और राशि.............................. (शब्दों में)... दर्शाएं।	
7	क्या एनएसओपी के लिए डीजीसीए से अनुमोदन प्राप्त किया गया है? यदि हाँ तो उसकी फोटोप्रति संलग्न करें।	
8	क्या सभी आबंटित पार्किंग स्टैंड का प्रयोग किया जा रहा है : अ) यदि हाँ, तो सभी आबंटित पार्किंग स्टैंड के अंतिम प्रयोग की तिथि उल्लिखित करें ।	हाँ/नहीं
9	कोई अन्य सूचना	

(आवेदक के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक 'ग'

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
निगमित मुख्यालय,राजीव गांधी भवन
सफदरजंग एयरपोर्ट
नई दिल्ली-110003

****

सं. 01/2019

ग्राउंड पर विमान (ए.ओ.जी.) के संबंध में टैरिफ-कार्ड दिनांक 22.03.2019 से लागू

सक्षम प्राधिकारी ने लैसर्स (lessors) को लीज़ रेंटल्स का भुगतान न करने पर एयरलाइंस द्वारा ग्राउंड किए गए विमानों (एओजी) के लिए लागू पार्किंग प्रभार की निम्नलिखित दरों का अनुमोदन किया है:

(ए) पहले माह के लिए (रुपये प्रतिदिन) एओजी प्रभार

हवाईअड्डे का नाम	छोटे विमान (25000 केजी.), एटीआर बोम्बरडायर ,क्यू 400, फाल्कॉन 2000 एक्स,बेल 407 आदि	सीमित आकार का विमान(75000 केजी.) ए319,ए320,ए321 एवं बी737 आदि	चौड़े आकार का विमान(300000 केजी.) ए330,बी777, बी747 एवं बी787 आदि
प्रमुख हवाईअड्डे			
कोलकाता	37320	111960	549600
लखनऊ/श्रीनगर/पुणे गोवा	7680	38760	277440
अहमदाबाद/ गुवाहाटी/कालीकट/ त्रिवेंद्रम/विशाखापत्तनम/जयपुर/इंदौर/भुवनेश्वर/ कोयम्बतूर/मंगलौर/पटना/अमृतसर/वाराणसी/ बागडोगरा	7200	36000	256800
चेन्नई	2760	8280	40800
गैर प्रमुख हवाईअड्डे			
गैर प्रमुख हवाईअड्डे	4200	18144	125184

(बी) दूसरे, तीसरे और चौथे महीने के लिए एओजी प्रभार (रुपये प्रति दिन)

हवाईअड्डे का नाम	छोटे विमान (25000 केजी.) एटीआर बोम्बरडायर,क्यू400, फाल्कॉन 2000 एक्स,बेल 407 आदि	सीमित आकार का विमान(75000 केजी.) ए319,ए320,ए321 एवं बी737 आदि	चौड़े आकार का विमान (300000 केजी.) ए330,बी777, बी747 एवं बी787 आदि
प्रमुख हवाईअड्डे			
कोलकाता	55980	167940	824400
लखनऊ/श्रीनगर/पुणे/ गोवा	11520	58140	416160
अहमदाबाद/ गुवाहाटी/कालीकट/ त्रिवेंद्रम/विशाखापत्तनम/जयपुर/इंदौर/भुवनेश्वर/ कोयंबतूर/मंगलौर/पटना/अमृतसर/वाराणसी/ बागडोगरा	10800	54000	385200
चेन्नई	4140	12420	61200
गैर -प्रमुख हवाईअड्डे			
गैर -प्रमुख हवाईअड्डे	6300	27216	187776

(सी) चौथे माह के बाद एओजी प्रभार (रुपये प्रतिदिन)

हवाईअड्डे का नाम	छोटे विमान (25000 केजी.) एटीआर बोम्बरडायर,क्यू400, फाल्कॉन 2000 एक्स,बेल 407 आदि	सीमित आकार का विमान(75000 केजी.) ए319,ए320,ए321 एवं बी737 आदि	चौड़े आकार का विमान(300000 केजी.) ए330,बी777, बी747 एवं बी787 आदि
प्रमुख हवाईअड्डे			
कोलकाता	74640	223920	1099200
लखनऊ/श्रीनगर/पुणे/ गोवा	15360	77520	554880
अहमदाबाद/ गुवाहाटी/कालीकट/ त्रिवेंद्रम/विशाखापत्तनम/जयपुर/इंदौर/भुवनेश्वर/ कोयंबतूर/मंगलौर/पटना/अमृतसर/वाराणसी/ बागडोगरा	14400	72000	513600
चेन्नई	5520	16560	81600
गैर प्रमुख हवाईअड्डे			
गैर प्रमुख हवाईअड्डे	8400	36288	250368

नोटः

1. यदि किसी प्रकार के विमान का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है तो उन्हें नजदीकी एमटीओडब्लयू के अनुसार सीमित आकार, चौड़े आकार, छोटे विमानों के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाएगा।

2. पार्किंग की अनुमति और ए.ओ.जी. का विवरण केवल प्रचालन निदेशालय, नि.मु. द्वारा प्रदान किया जाएगा।

3. यह आदेश दिनांक 22.03.2019 से लागू होगा और इस तिथि से पहले सामान्य प्रभार ही लागू रहेंगे।

4. डी.जी.सी.ए. द्वारा तकनीकी आधार पर ग्राउंड किए गए विमानों के मामले में सामान्य पार्किंग/हाऊसिंग प्रभार लिए जाएंगे।

5. भाविप्रा की क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार इस प्रकार के पार्किंग प्रभार के लिए भुगतान हेतु साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक विमान के लिए अलग-2 बिल तैयार किए जाएंगे।

6. इस विषय पर एसओपी का अनुकरण किया जाए।

वितरण-

आंतरिकः

1. सभी क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक एवं विमानपत्तन निदेशक चेन्नई/कोलकाता
2. अन्य सभी विमानपत्तन निदेशक
3. महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), सभी क्षेत्रीय मुख्यालय
4. महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा)राजस्व , निगमित मुख्यालय
5. कार्यपालक निदेशक (आईटी) भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

बाहरी :

1. सचिव, ऐरा (AERA)
2. संयुक्त सचिव, नगर विमानन मंत्रालय

नोट : उल्लेखनीय है कि किसी भी विवाद की स्थिति में संलग्न सामाग्री के अंग्रेज़ी पाठ को ही अधिक्रत माना जाए ।